

यालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
 खान महावीर प्रसाद बनाम होम प्रकारा आदि
 क्रमा नं. 32/2023

10/6/24
 जवाहीर
 नरेश शर्मा
 Jamal Puri
 विक्रम लाल
 जगजित सिंह
 Subir Kumar
 सुभाष कर्मा


पत्रावली पेश हुई। वहील उन्नयपत्र उपस्थित।
 3 वहील ^{अप्राप्ति} उन्नयपत्रों से रखा। 17 3 के आवेदन का
 जवाब पेश न कर सीधी बहस का आवेदन
 आदेश द्वारा 212 RTI Act के को गारंटीशन देना/
 प्रत्यक्ष के निर्माण एक सजाही निर्देशानुसार से
 कर्मों को देव सहायिता व्यय की।

आवेदन के सम्बन्ध में मन्त्रि के उच्च
 निम्ननामाए हैं कि विवादित छुट्टी भूमि स्वामता
 क्रमांक 165, 299 व 97 का के काम
 स्थायिकता लायकारी पत्रावली द्वारा सावलीका
 धारणान 18 मील सीमा ग्रामीण के अधिनियम
 हैं। जिसमें जमीनी 1/4 हिस्से का स्वामेदार हैं।
 कानिज, काश्तकार हैं। इन्हें भूमि जमीनी एवं
 अपात्री से रखा। 17 3 की पैत्रु छुट्टी भूमि हैं
 जिसमें जमीनी एवं अपात्रीकरण बाधकी बखारा
 कर के कानिज काश्त हैं। पुराने जमीनी एवं
 अपात्रीकरण बखारा नहीं होने से आपस में
 सीमा लेखक विवाद हो जाते हैं। इसी कारण
 इच्छानी भूमि का विभाजन भी हो जाते हैं।
 यदि जमीनी का उसके एक एवं हिस्से में बखारल
 कर देना के सम्बन्ध विभाग कर दिया है। जमीनी
 के उन्नयपत्र के किसी प्रकार की बाधा उपलब्ध नहीं
 की गिरी के धारणीकरण की पालव कर भूमि एवं कानिज
 की प्रभावित बनाये रखे देव सहायिता निर्देशानुसार से
 पालव दिया जाता जवाहीर हैं।


वहील उन्नयपत्र की बहस पर प्रत्यक्षिया
 जमा तथा पत्रावली के प्रचलित से सम्बन्ध हैं
 कि जमीनी विवादित माराजीगत पैत्रु से मुक्त बखारकी
 है। जिसमें प्रथम दृष्टिकोण का मामल, अपात्री
 सार व सुविधा का सेतुलन जमीनी के पत्र के
 प्रवाल एवं मुहक हैं।
 अतः विवादित छुट्टी भूमि स्वामता को
 165, 299 व 97 का के काम स्थायिकता लायकारी

3
 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उचित नीति
आवश्यक है अतः कृपया अपने विचारों का
मूल्य के निर्धारण एवं प्रतिपत्ति/अवगत
की वर्तमान राजस्व रिपोर्ट की प्रशासिक प्रणाली
संबंध में सुझावों/निर्देशों के माध्यम से
आता है। फाइनल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट नम्बर
से कम है। दस्तावेज दफ्तरी है।


सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

यह मसला आज दिनांक 10/6/24 को मेरे द्वारा
शुद्ध प्रशासन के सुचारु रूप में


सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर